

### अनुमति की शर्तें ।

- (i) उपरत भवन/मुख्यरुख के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

### स्कूल/विद्यालय केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

#### कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 805 दिनांक 11/12/2020

प्रार्थी श्रीमती धर्मा चौहान 10/0 श्री रतनलाल गुर्जर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पन्ना 64 सेक्टर ई कामला

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश नेटवर्क नगर प्रथम विस्तार

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8000/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/4390 4391

दिनांक 11/12/2020 जमा कता दी है ।

14/12/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

94/4864075